संख्या-268/2024/3376/22-2-2023-17(1139)/2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 11 नवम्बर, 2024

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमरपाल पुत्र श्री दयाचन्द, निवासी जनपद-मेरठ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-26788/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-08.08.2023) दिनांक-24.08.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमरपाल पुत्र श्री दयाचन्द, ग्राम-पूठा, थाना-टी0पी0 नगर, जनपद-मेरठ का निवासी है। पुरानी रंजिश को लेकर बंदी ने दिनांक 20.05.2004 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पेचकस, चाकू, हथौड़ा व डण्डों से मारकर दीपक नामक व्यक्ति की हत्या कर दी एवं भाई नरेश को मारपीट कर घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-784/2004 में भा0द0वि0 की धारा-307/34, 302/34, 457 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-01, मेरठ के आदेश दिनांक 25.05.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 01.10.2021 तक अपरिहार 16 वर्ष 02 माह 12 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष 08 माह 11 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा रिहाई के उपरान्त भविष्य में पुनः अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी को जेल में आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन है क्योंकि बन्दी समयपूर्व रिहाई की दशा में कोई अप्रिय घटना घटित कर सकता है जिससे समाज में रोष व्याप्त होगा, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पुरानी रंजिश को लेकर बन्दी ने दिनांक 20.05.2004 को अपने 04 सहअभियुक्त के साथ मिलकर पेचकस, चाकू हथौड़ा व डण्डों से मारकर दीपक नामक व्यक्ति की हत्या करने व भाई नरेश को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अमरपाल पुत्र दयाचन्द को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमरपाल (बंदी संख्या-12090) पुत्र श्री दयाचन्द, निवासी जनपद-मेरठ के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-268/2024/3376(1)/22-2-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका सं0-336/2019 रसीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-268/2024/3376/22-2-2023-17(1139)/2023

दिनांक 11 नवम्बर, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमरपाल पुत्र श्री दयाचन्द, ग्राम-पूठा, थाना-टी0पी0 नगर, जनपद-मेरठ का निवासी है। पुरानी रंजिश को लेकर बंदी ने दिनांक 20.05.2004 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पेचकस, चाकू, हथौड़ा व डण्डों से मारकर दीपक नामक व्यक्ति की हत्या कर दी एवं भाई नरेश को मारपीट कर घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-784/2004 में भा0द0वि0 की धारा-307/34, 302/34, 457 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-01, मेरठ के आदेश दिनांक 25.05.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 01.10.2021 तक अपरिहार 16 वर्ष 02 माह 12 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष 08 माह 11 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा रिहाई के उपरान्त भविष्य में पुनः अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी को जेल में आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन है क्योंकि बन्दी समयपूर्व रिहाई की दशा में कोई अप्रिय घटना घटित कर सकता है जिससे समाज में रोष व्याप्त होगा, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पुरानी रंजिश को लेकर बन्दी ने दिनांक 20.05.2004 को अपने 04 सहअभियुक्त के साथ मिलकर पेचकस, चाकू हथौड़ा व डण्डों से मारकर दीपक नामक व्यक्ति की हत्या करने व भाई नरेश को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अमरपाल पुत्र दयाचन्द को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।